सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी जिला – अजमेर (राज.)

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या – 127 / 2018

पीठासीन अधिकारीः– श्री नीरज कुमार मीना (आर.ए.एस.)

सूरजमल पुत्र जगन्नाथ जाति रेगर निवासी रायनगर का झोपडा तहसील सावर जिला अजमेर राज.

प्रार्थी

बनाम

1. रामकरण पुत्र छोगा जाति रेगर
2. रामनिवास पुत्र छोगा जाति रेगर
3. रामदेव पुत्र देवी जाति रेगर
4. रामपाल पुत्र देवी जाति रेगर
5. कानाराम पुत्र देवी जाति रेगर
6. रामप्रसाद पुत्र देवी जाति रेगर
   समस्त निवासीगण रायनगर का झोपडा तहसील सावर जिला अजमेर राज.
7. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार सावर तह. सावर जिला अजमेर

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज. भू. राज. अधि.

निर्णय

दिनांकः– 01.06..2018

पत्रावली आज दिनांक केम्प कोर्ट न्याय आपके द्वार 2018 केम्प चीतीवास में पेश हुई। वादीगण / प्रतिवादी उपस्थित। संक्षेप में विवरण निम्नानुसार है–

वादी ने जरिये अधिवक्ता एक वाद अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थी की वाद ग्रस्त भूमि वाके ग्राम रायनगर का झोपडा, पटवारहल्का जीतापुरा ,भू.अभि.निरी.सावर तह.सावर की जमाबन्दी स. 2071–74 के खाता स. 233 के खसरानम्बर 1009 रकबा 0.02 है, ख.न. 1010 रकबा 0.11 है. , ख.न. 1011 रकबा 0.03 ,ख.न. 1023 रकबा 0.45 है. ख.न. 1024 रकबा 0.67 है.कुल किता 5 कुल रकबा 1.28है. भूमि में प्रार्थी की स्वयं की खातेदार दर्ज है। उक्त आराजीयात प्रार्थी के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज चली आ रही है। आराजीयात प्रार्थी के कब्जे स्वामित्व व आधिपत्य में चली आ रही है। प्रार्थी के कब्जे स्वामित्व व आधिपत्य में चली आ रही है। प्रार्थी की उक्त आराजीयात के सीमा चिन्ह खुर्द बुर्द हो गये तथा पडोसियों से आये दिन कब्जे काश्त में लडाई झगडा होता रहता है। क्योकि उक्त आराजी पर अप्रार्थीगण अवैध गैर कानूनी तरीके से कब्जा करने की नियत रखते है। इसलिये पत्थरगढी का दावा करना लाजमी आया है। प्रार्थी दिनांक 12.5. 2018 को काश्त करने गया तो अप्रार्थीगण ने काश्त नही करने दिया व गाली गलोच पर उतारू हो गये। सीमा चिन्ह नही होने से काश्त में बाधा उत्पन्न होती है। प्रार्थी द्वारा पत्थरगढी करवाने हेतु निवेदन किया है। प्रार्थी का वादपत्र स्वीकार फरमाया जावें।

हमने वादीगण का दावा दर्ज मुकदमा रजिस्टर किया। पत्रावली आज केम्पकोर्ट न्याय आपके द्वार केम्प चीतीवास में अप्रार्थी स. 2 उपस्थित। तहसीलदार सावर से जवाब सरकार की रिपोर्ट प्राप्त की गई। जवाब सरकार शामिल पत्रावली किया गया। वादग्रस्त आराजी प्रार्थी के स्वयं की खातेदारी में दर्ज होने से प्रार्थना पत्र का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होना पाया जाता है।

अतः वादी का वादपत्र वाके *ग्राम रायनगर का झोपडा, पटवारहल्का जीतापुरा ,भू.अभि.निरी.सावर तह.सावर की जमाबन्दी स. 2071–74 के खाता स. 233 के खसरानम्बर 1009 रकबा 0.02 है, ख.न. 1010 रकबा 0.11 है. , ख.न. 1011 रकबा 0.03 ,ख.न. 1023 रकबा 0.45 है. ख.न. 1024 रकबा 0.67 है. कुल किता 5 कुल रकबा 1.28है. पत्थरगढी करने हेतु प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार केकड़ी को मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है तथा तहसीलदार केकड़ी को निर्देशित किया जाता है कि वे वादग्रस्त आराजी की नियमानुसार शुल्क जमा कर पत्थरगढी कराकर मौका रिपोर्ट न्यायालय हाजा में पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों।*

निर्णय आज दिनाक 01.06.2018 को पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया व निर्णय केम्प कोर्ट चीतीवास में मजमे आम सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी